राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

रोकठोक लेखनी

RNI NO. : MAHHIN/2019/77511

खबरें बे-रोकटोक

वर्ष 07 | अंक 06 | मुंबई : बुधवार 10 दिसम्बर 2025 से 16 दिसम्बर 2025 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 8 | कीमत : 03 रुपये

एलओपी का लॉलीपॉप... सरकार ने लगाया झगड़ा

कथित नियम का हवाला देकर मंजूरी रोक रखी

मुंबई : राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्तारूढ़ महायुति ने पूरे विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) पद की बहस में उलझाकर संभावित हमले की धार को कुंद कर दिया है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अपने विधायक भास्कर जाधव को विधानसभा में एलओपी बनाए जाने का प्रस्ताव दिया है, जबकि कांग्रेस ने विधान परिषद में सतेज (बंटी) पाटिल के नाम की अनुशंसा की है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने महाविकास आघाड़ी (मविआ) के कुछ नेताओं से अनौपचारिक संपर्क कर कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार को विधानसभा तथा यूबीटी के अनिल परब को परिषद में एलओपी बनाने के लिए सहयोग की पेशकश की है।

मविआ में अविश्वास बढ़ाने की रणनीति ?

दूसरी ओर, वडेट्टीवार भी एलओपी पद के प्रबल इच्छुक हैं। वहीं कांग्रेस ने परिषद में सतेज पाटिल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग सभापति प्रो. राम शिंदे से की है। भाजपा की यह ''गुगली'' मविआ में फूट बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वडेट्टीवार विधानसभा में एलओपी बने तो यूबीटी में जाधव और कांग्रेस में सतेज पाटिल की नाराजगी बढ़ सकती है। यह भी चर्चा है कि वडेट्टीवार के भाजपा नेताओं से अच्छे संबंध माने जाते हैं, जिसके चलते संदेह और गहरा सकता है।

शिंदे गुट की आशंकाएँ

माना जा रहा है कि भाजपा का यह प्रस्ताव शिंदे गुट की वजह से है। उनका अनुमान है कि यदि आक्रामक तेवर वाले जाधव विपक्ष के नेता बने, तो उनका मुख्य निशाना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के मंत्री होंगे। वहीं वडेट्टीवार के मामले में आलोचना का दायरा महायुति के तीनों घटकों में विभाजित हो जाएगा।

कांग्रेस की सक्रिय पैरवी

कांग्रेस अपने पहले दिए गए प्रस्ताव पर कायम है। एक वरिष्ठ मविआ नेता ने दावा किया। ''हम भास्कर जाधव और सतेज पाटिल के नाम पर एकजुट हैं। भाजपा की फूट डालने की कोशिश सफल नहीं होगी।'' बीते दो दिनों में कांग्रेस के नेता विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे से दो बार मिल चुके हैं और अपनी मांग दोहरा चुके हैं।

मुंबई : गुटखा, मावा, सिगरेट, सुपारी, पान मसाला और चरस गांजा की बिक्री कानूनों को और सख्त बनाया जाएगा

मकोका में और संशोधन करके इसे लागू किया जाएगा

मुंबई : गुटखा, मावा, सिगरेट, सुपारी, पान मसाला और चरस गांजा की बिक्री पर रोक है, और आज भी गुटखा के जरिए बड़ी मात्रा में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई होने के बाद भी आरोपी छूट जाते हैं। इसलिए, इस संबंध में कानूनों को और सख्त बनाया जाएगा। साथ ही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि ऐसे मामलों में मकोका में और संशोधन करके इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने यह बात प्रश्नोत्तर काल के दौरान कही।

DECODING
MCOCA

मुख्यमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र में सरकार द्वारा गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसके बाद भी, भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न मामले दर्ज किए गए और 17 लाख 40 हजार रुपये का गुटखा जब्त किया गया। नवी मुंबई में 1144 मामले, अहिल्यानगर में 185, जालना में 90, अकोला में 35, नासिक में 131, चंद्रपुर में 230, सोलापुर में 108, बुलढाणा में 634, नागपुर में 49, यवतमाल में 1706 मामले दर्ज किए गए। गुटखा की बिक्री रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई दल भी बनाए गए। नशीले पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के निदेशों के अनुसार जिला स्तरीय नाको समन्वय केंद्र और जिला स्तरीय नशीली दवा विरोधी कार्यकारी समिति जैसी समितियां बनाई गई हैं। शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में और आसपास के इलाकों में दुकानों में बच्चों को नशीली गोलियां और चॉकलेट या कोई अन्य खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जाएंगे, पुलिस विभाग के माध्यम से डमी ग्राहक भेजकर नियमित सत्यापन किया जा रहा है।

मुंबई : डीआरआई ने 192 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री पकड़ी

मुंबई: राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ''ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू'' नामक एक लक्षित ऑपरेशन के दौरान वर्धा , महाराष्ट्र में एक गुप्त मेफेड्रोन विनिर्माण सुविधा को ध्वस्त कर दिया है।

किए गए अभियान के परिणामस्वरूप 128 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया , जिसका मूल्य लगभग 192 करोड़ रुपये है, साथ ही 245 किलोग्राम पूर्ववर्ती रसायन, कच्चा माल और एक संपूर्ण प्रसंस्करण सेटअप भी जब्त किया गया। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, डीआरआई अधिकारियों ने वर्धा से लगभग 60 किलोमीटर दूर करंजा (घाडगे) के एक दूरस्थ, झाड़ियों से ढके क्षेत्र में गुप्त निगरानी की, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया ।

ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने एक पूरी तरह कार्यात्मक सिंथेटिक ड्रग प्रोसेसिंग सेटअप का पर्दाफाश किया, जिसमें अस्थायी रिएक्टर, बर्तन और मेफेड्रोन के अवैध निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य उपकरण शामिल थे । जब्त किए गए माल में तैयार उत्पाद और इसके संश्लेषण के लिए जरूरी पूर्ववर्ती रसायन दोनों शामिल थे। विज्ञप्ति के अनुसार, यह अवैध कारखाना स्थानीय लोगों द्वारा जानबूझकर ग्रामीण परिवेश में घुल-मिल जाने और किसी की नजरों से बचने के लिए स्थापित और संचालित किया गया था। यह निर्माण इकाई स्वयं एक अस्थायी, मॉड्यूलर, साधारण संरचना थी जो झाड़ियों के बीच छिपी हुई थी। विज्ञप्ति के अनुसार, इस सुविधा का संचालन करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मास्टरमाइंड भी शामिल है, जो फाइनेंसर और केमिस्ट के रूप में भी काम करता था। साथ ही, उसके दो सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों को मेफेड्रोन के निर्माण और वितरण नेटवर्क में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया और उन्हें एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन के साथ, डीआरआई ने खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाइयों के माध्यम से इस वर्ष अब तक पांच गुप्त दवा निर्माण सुविधाओं को नष्ट कर दिया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ''ये निरंतर प्रयास डीआरआई की निरंतर सतर्कता, परिचालन उत्कृष्टता और सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, जो नागरिकों को मादक और मनःप्रभावी पदार्थों के खतरे से बचाता है।''

कोपरखैराने: नाक के बाल ट्रिम करने को लेकर हुई बहस; सैलून मालिक पर लोहे की रॉड से हमला

कोपरखैराने: कोपरखैराने में नाक के बाल ट्रिम करने को लेकर हुई छोटी सी बहस जानलेवा हमले में बदल गई, जिसमें एक सैलून मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना तब हुई जब 25 साल के गणेश शिवाजी परते ने सैलून मालिक पर लोहे की रॉड से हमला किया। परते मौके से भाग गया और कोपरखैराने पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। सर्विस को लेकर हुई बहस हिंसक हो गई पुलिस के मुताबिक, 4 दिसंबर को रात करीब 8 बजे, गणेश परते कोपरखैराने के सेक्टर 17 में ''एक्सपर्ट सैलून'' गए थे। जब उन्होंने अपनी नाक के बाल ट्रिम करवाने के लिए कहा, तो स्टाफ के असु सलीम खान (21) ने उन्हें बताया कि सर्विस तभी दी जाएगी जब वह बाल कटवाएंगे या शेव करवाएंगे। गुस्से में परते ने कथित तौर पर खान के साथ गाली-गलौज की और मारपीट की। मामला कोपरखैराने पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ नॉन-कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज किए। सैलून मालिक सूरज हरिश्चंद्र पाटिल (43) खान के साथ पुलिस स्टेशन में पार्टे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गए थे। खबर है कि इससे पार्टे को गुस्सा आ गया, जिसने कुछ दिनों बाद पाटिल को निशाना बनाया। 7 दिसंबर को रात करीब 11.15 बजे, जब पाटिल सैलून बंद करके घर जा रहे थे, तो पार्टे ने कथित तौर पर पीछे से लोहे की रॉड से उन पर हमला किया, जिससे उनकी पीठ पर चोट लगी। पाटिल गिर गए, जिसके बाद आरोपी ने उन्हें मारने की कोशिश में बार-बार उनके हाथ और पैरों पर वार किया।

www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani

रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : बुधवार 10 दिसम्बर 2025 से 16 दिसम्बर 2025

ठाणे : वर्ल्ड-क्लास मेंटल हेल्थ फैसिलिटी के बदले लगभग 740 पेड़ों को काटने की योजना; प्रभावित पेड़ों को अस्पताल परिसर में ही ट्रांसप्लांट करने की मांग

ठाणे : ठाणे में एक वर्ल्ड-क्लास मेंटल हेल्थ फैसिलिटी के बदले लगभग 740 पेड़ों को काटने की योजना ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थानीय इकाई इस कदम का विरोध कर रही है। अगर यह योजना लागू होती है, तो इसका मतलब होगा कि पुराने ठाणे मेंटल हॉस्पिटल के 1,614 पेड़ों में से 742 पेड़ों को काटना होगा, जो राज्य द्वारा चलाई जा रही रीडेवलपमेंट योजना के पक्ष में है। इस प्रोजेक्ट में एक अत्याधुनिक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी बनाई जाएगी, जो आधुनिक इमारतों, सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगी। ठाणे के हरियाली को बचाने की वकालत करने वालों का कहना है कि वे रीडेवलपमेंट योजना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे लगभग 750 पेड़ों के विनाश को चुपचाप नहीं देखेंगे। पर्यावरण NGO और स्थानीय नेता मांग कर रहे हैं कि राज्य एक ऐसी योजना दे जिसमें प्रभावित पेड़ों को अस्पताल परिसर में ही ट्रांसप्लांट किया जाए।

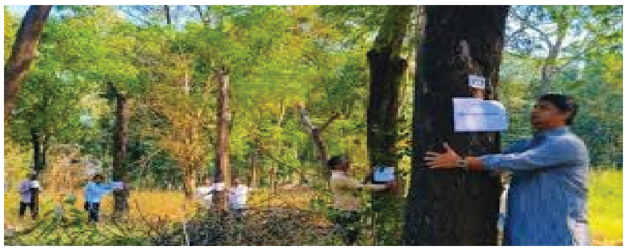

वे एक सहायक वैज्ञानिक योजना भी देखना चाहते हैं जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद उनके जीवित रहने को सुनिश्चित करे। 2023 में घोषित रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 57 एकड़ के विशाल, औपनिवेशिक काल के कैंपस में 25 पुरानी इमारतों को गिराना शामिल है। लगभग 20 नई इमारतें बनाई जाएंगी, जिनमें स्पेशलाइज्ड वार्ड, प्रशासनिक ब्लॉक, रोगी केंद्र और स्टाफ क्वार्टर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी।

अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि कुछ पेड़ प्रस्तावित नई इमारतों के ठीक बीच में स्थित हैं।इसके अनुसार, राज्य लोक निर्माण विभाग ने ठाणे नगर निगम को पत्र लिखकर संपत्ति पर 742 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी है। ठाणे मेंटल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट नेताजी मुलिक ने बताया कि पेड़ों की संख्या कम करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, जो ऐसे संस्थान का प्राथमिक फोकस है, क्योंकि हरियाली मानसिक और शारीरिक रिकवरी में मदद करती है और मानव कल्याण में योगदान देती है।

ठाणे सिटीजन्स फाउंडेशन के अध्यक्ष कास्बर ऑगस्टीन ने कहा कि वे रीडेवलपमेंट योजना का समर्थन करते हैं, लेकिन हरियाली की कीमत पर नहीं। ''जो पेड़ काटे जाएंगे, उनमें से ज्यादातर पूरी तरह से बढ़े हुए, देसी प्रजाति के पेड़ हैं, जैसे आम, कटहल, नीम, नारियल, सागौन, उंबर, चंपा, अशोक और दूसरे पेड़, जिन्हें ट्रांसप्लांट करने के बाद उनके बचने की संभावना बहुत कम होती है।''ठाणे के पर्यावरण एक्टिविस्ट प्रशांत सिंकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने इस मुद्दे पर एक इंडिपेंडेंट स्टडी की मांग की है। ''जिन पेड़ों को साइंटिफिक तरीके से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उन्हें काटने के बजाय ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए। ग्रीन कवर पर कम से कम असर पड़े, इसके लिए रीडेवलपमेंट प्लान को फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए। ''ठाणे NCP (SP) के चीफ मनोज प्रधान ने सोमवार को ठाणे मेंटल हॉस्पिटल का दौरा किया और दावा किया कि अभी तक कोई अप्रूवल नहीं मिला है, फिर भी पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया, ''एक डाल काटने के लिए भी TMC की परमिशन की जरूरत होती है।''''इस तरह के बड़ी संख्या में पेड़ हवा में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं।

मुंबई : कोर्ट को गुमराह करने के लिए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में म्युनिसिपल कमिश्नर को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि गोवंडी के एक प्राइवेट अस्पताल को उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिला, यह देखते हुए कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अस्पताल दोनों ने बेंच को गुमराह करने की कोशिश की थी। सुनवाई के दौरान, जिसका आदेश को सार्वजनिक किया गया, कोर्ट ने कहा कि न तो अस्पताल और न ही नागरिक निकाय ने नसीम बाबर शाह द्वारा दायर 2015 की याचिका पर सुनवाई के दौरान उसके सामने पूरे तथ्य रखे थे। यह इस साल 17 फरवरी को हुई सुनवाई के बाद हुआ, जब बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वकील वृषाली राजे ने बेंच को बताया कि गोवंडी के मिलेनियम अस्पताल पर बिना रजिस्ट्रेशन के चलने के लिए तीन बार जुमार्ना लगाया गया था

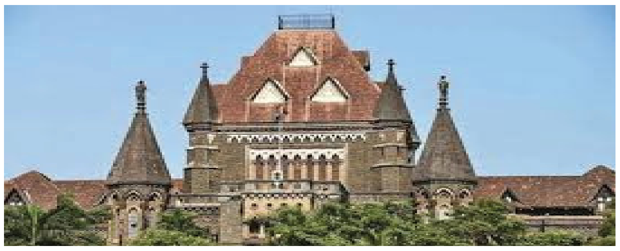

लेकिन जुमार्ना भरने के बाद भी वह काम करता रहा। वकील ने यह भी बताया कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा करने के लिए कानूनी शक्तियों की कमी के कारण परिसर को सील नहीं कर पाई थी।उसी दिन, अस्पताल के वकील अरुण मिश्रा ने एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश किया, जिसमें दावा किया गया कि अस्पताल विधिवत रजिस्टर्ड है। हालांकि, राजे ने कहा कि न तो उन्हें और न ही नागरिक अधिकारियों को सूचित किया गया था कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट मौजूद है। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जब पहले कोई सर्टिफिकेट कभी नहीं दिखाया गया था, तो ''नवीनीकृत'' चिह्नित दस्तावेज कैसे जारी किया जा सकता है।बाद में बेंच ने इटउ को विसंगतियों को समझाने के लिए समय दिया। जवाब में, 17 जून को कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दायर एक हलफनामे में दावा किया गया कि सर्टिफिकेट असली था और इसे पहले पेश न करने का कारण ''गलतफहमी'' और खराब विभागीय समन्वय था। इसमें कहा गया कि अस्पताल 13 अप्रैल, 2022 को रजिस्टर्ड हुआ था, और 20 सितंबर, 2024 को एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था, जो 31 मार्च, 2027 तक वैध था।कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि सर्टिफिकेट पिछले हलफनामों में मौजूद नहीं था, जिसमें दिसंबर 2024 में अस्पताल द्वारा दायर किया गया एक हलफनामा भी शामिल था। इसने आगे कहा कि बताई गई वैधता महाराष्ट्र नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 5(2) के विपरीत थी, जिसके तहत सर्टिफिकेट जारी होने के तीसरे वर्ष के अंत से आगे नहीं बढ़ सकते। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बार-बार उल्लंघन के बावजूद, कमजोर दंडात्मक प्रावधानों के कारण मिलेनियम हॉस्पिटल पर सिर्फ. ₹7,000 से ₹10,000 का जुमार्ना लगा।

मुंबई : 388 पुरानी और जर्जर म्हाडा इमारतों का रीडेवलपमेंट...

म्हाडा ने दखल देने पर सहमति जताई

मुंबई : दक्षिण मुंबई में 388 पुरानी और जर्जर म्हाडा इमारतों का रीडेवलपमेंट आखिरकार आगे बढ़ सकता है। इन हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा प्राइवेट डेवलपर्स को बुलाने की कोशिशें नाकाम रहने के बाद, राज्य की हाउसिंग एजेंसी ने ग्रुप में हाउसिंग सोसाइटियों के संपर्क करने पर इन इमारतों का रीडेवलपमेंट करने पर सहमति जताई है।

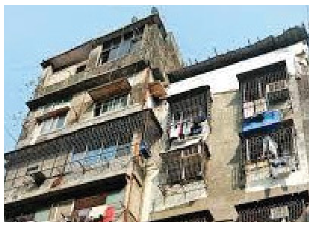

जिससे प्राइवेट बिल्डरों के लिए इन प्रोजेक्ट्स को लेना फायदेमंद नहीं था। एक और कारण हाउसिंग सोसाइटियों के बीच सहमति की कमी है। दक्षिण मुंबई में कोलाबा, गिरगांव, मुंबादेवी, बायकुला, सेवरी, प्रभादेवी और माहिम जैसे इलाकों में फैली इन 388 जर्जर इमारतों में कुल 27,373 परिवार रहते हैं। हर इमारत में 80-100 फ्लैट हैं, हर फ्लैट का साइज 100-200 वर्ग फुट है।इन इमारतों का रीडेवलपमेंट महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने तीन से चार दशक पहले 900 से ज्यादा पुरानी और जर्जर इमारतों को गिराकर किया था। अब, उन्हें फिर से रीडेवलपमेंट की जरूरत है। उनमें से कई 400-600 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बनी हैं, जिन्हें प्राइवेट डेवलपर्स के लिए व्यावसायिक रूप से फायदेमंद नहीं माना जाता है। कुछ मामलों में, जब हाउसिंग सोसाइटियों के एक ग्रुप ने अपनी इमारतों को मिलाकर एक बड़ा जमीन का टुकड़ा प्राइवेट डेवलपर को देने की कोशिश की, तो सहमति की कमी के कारण यह प्रक्रिया रुक गई।

अब, म्हाडा ने दखल देने पर सहमति जताई है। इन 388 इमारतों का प्रतिनिधित्व करने वाली म्हाडा संघर्ष कृति समिति को राज्य सरकार के तहत सेल्फ-रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रमुख प्रवीण दारेकर के ऑफिस से एक लेटर मिला है, जिसमें इस फैसले की पुष्टि की गई है। लेटर में कहा गया है, ''अगर इमारतों का एक ग्रुप एक साथ आता है और यह तय करता है कि म्हाडा को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, तो म्हाडा वह रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करेगा,'' जिसकी एक कॉपी म्हाडा को भेजी गई है।समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एकनाथ राजापुरे ने इस फैसले का स्वागत किया, उन्होंने कहा कि इससे 388 इमारतों में से लगभग एक तिहाई को फायदा होगा। राजापुरे ने कहा, ''हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा प्राइवेट बिल्डर को नियुक्त करने की कोशिशें नाकाम रही हैं। चूंकि इन इमारतों की जमीन म्हाडा की है, इसलिए हाउसिंग एजेंसी की इन इमारतों को क्लस्टर में रीडेवलप करने की तैयारी से इन सोसाइटियों में रहने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी।''

मुंबई : सांसद पीयूष गोयल ने की घोषणा; कांदिवली में AI और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिस्को-CII सेंटर बनेगा

मुंबई : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने घोषणा की कि कांदिवली में अटल बिहारी वाजपेयी कौशल विकास केंद्र में अक् नेटवर्किंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक सिस्को - उक्क सेंटर स्थापित किया जाएगा। अपनी 40वीं वर्षगांठ के मौके पर, नेटवर्किंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम उपकरण बनाने, मैन्युफैक्चरिंग और बेचने के लिए जानी जाने वाली ग्लोबल टेक दिग्गज सिस्को ने '40 कम्युनिटीज इनिशिएटिव' लॉन्च किया था, जो दुनिया भर में 40

वंचित समुदायों में निवेश करने, उनका समर्थन करने और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए 10 साल की प्रतिबद्धता है। इसका पहला नेटवर्किंग सेंटर कांदिवली में बनने वाला है, जिसके उत्तर मुंबई के लिए एक प्रमुख टेक हब बनने की उम्मीद है।

गोयल ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाने के विजन के अनुरूप है। गोयल ने आगे कहा, ''भारत के युवा हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी ताकत हैं। यह सेंटर युवा प्रतिभाओं, खासकर महिलाओं और पहली पीढ़ी के सीखने वालों को ऐसे कौशल से सशक्त बनाएगा जो वास्तविक नौकरियों, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ले जाते हैं।''

पांच सितारा होटलों के यूनियनों पर कब्जा करने की हाल की दो कोशिशों के बाद बीजेपी को "मुंहतोड़ जवाब" देने का ठाकरे ने दिया निर्देश

मुंबई : बीजेपी के नेतृत्व वाले कर्मचारी यूनियनों द्वारा शिवसेना की भारतीय कामगार सेना से पांच सितारा होटलों के यूनियनों पर कब्जा करने की हाल की दो कोशिशों के बाद, उद्धव ठाकरे ने अपने लोगों को कुछ सलाह देने के लिए दखल दिया है। भारतीय कामगार सेना पदाधिकारियों की एक बैठक में, सेना (यूबीटी) प्रमुख ने उन्हें बीजेपी को ''मुंहतोड़ जवाब'' देने का निर्देश दिया, लेकिन साथ ही किसी भी संस्थान में यूनियन चलाते समय अपना तरीका बदलने और ज्यादा मिलनसार बनने को भी कहा। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे द सेंट रेगिस मुंबई में सेना (यूबीटी) और बीजेपी के लेबर यूनियन सदस्यों के बीच झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप दो घंटे तक मौखिक और शारीरिक कहासुनी हुई। यह झगड़ा तब हुआ जब द सेंट रेगिस में आधिकारिक लेबर यूनियन भारतीय कामगार सेना को पता चला कि कुछ होटल कर्मचारियों ने बीजेपी समर्थित राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन में शामिल हो गए हैं।

पिछले तीन हफ्तों में यह दूसरी ऐसी घटना थी - 14 नवंबर को, बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में दोनों पार्टियों द्वारा समर्थित यूनियनों के बीच सदस्यों को कथित तौर पर तोड़ने को लेकर टकराव हुआ था।बीजेपी समर्थित यूनियनों से खतरे को भांपते हुए, ठाकरे ने मुंबई, पुणे और अन्य शहरों के भारतीय कामगार सेना अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने स्थिति की समीक्षा की, बीजेपी के नेतृत्व वाले यूनियनों द्वारा भारतीय कामगार सेना वालों को धमकाने का विवरण इकट्ठा किया, और फिर भारतीय कामगार सेना अधिकारियों को बीजेपी की कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दिया। ठाकरे ने भारतीय कामगार सेना पदाधिकारियों से यह भी कहा कि उन्हें और ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ''एकजुट रहें और अपने संस्थानों में और सामान्य तौर पर लेबर यूनियन क्षेत्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले लेबर यूनियनों के घुसपैठ को रोकें।'' ''उन्हें मुंहतोड़ जवाब दें। अगर भारतीय कामगार सेना मजबूत है, तो कर्मचारियों को फायदा होगा; एक बार जब बीजेपी के नेतृत्व वाला यूनियन अंदर आ जाएगा, तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि मालिकों को फायदा हो।

इसे समझें और हमारे यूनियन के सदस्यों को भी यह बताएं।'' साथ ही, ठाकरे ने भारतीय कामगार सेना पदाधिकारियों से यूनियन चलाने के अपने तरीके को बदलने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, ''किसी भी संस्थान में लेबर यूनियन चलाते समय मिलनसार बनें।'' ''पार्टी के स्थानीय नेताओं और शाखा प्रमुखों के साथ भी तालमेल होना चाहिए। उस क्षेत्र के यूनियन सदस्यों या पार्टी नेताओं को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारतीय कामगार सेना पदाधिकारियों को उनकी परवाह नहीं है।'' आने वाले बीएमसी चुनावों के संदर्भ में ठाकरे की मीटिंग महत्वपूर्ण थी, क्योंकि शहर के हर प्रतिष्ठान में भारतीय कामगार सेना के कई सौ कर्मचारी और पार्टी कार्यकर्ता हैं।

मुंबई : गैर-कानूनी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की ब्लैकलिस्ट बनाने का निर्देश

मुंबई : एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड के साथ मीटिंग के बाद, राज्य के फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने अपने रीजनल ऑफिस को गैर-कानूनी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की एक ब्लैकलिस्ट बनाने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें सरकारी वेलफेयर स्कीम्स का फायदा न मिल सके। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि काम के लिए गैर-कानूनी तरीके से महाराष्ट्र में आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या बढ़ रही है, और कई लोग सरकारी डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेते हैं जिससे वे राज्य के फायदे ले सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि इससे वेलफेयर स्कीम्स पर बोझ बढ़ता है और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एटीएस से मिले इनपुट्स के बाद, डिपार्टमेंट ने यह वेरिफाई करने के निर्देश जारी किए हैं कि क्या गैर-कानूनी माइग्रेंट्स के तौर पर पहचाने गए लोगों को कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए थे। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो उन्हें कैंसल या सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, और एटीएस को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। डिपार्टमेंट ने ऑफिसों से इस मुद्दे पर इंटरनल रिव्यू करने, एटीएस के पास रिपोर्ट फाइल करने, और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा रिकमेंड किए गए राशन कार्ड्स समेत राशन कार्ड जारी करते समय सख्त जांच करने को भी कहा है।

ANTI TERRORIST
SQAD

मुंबई क्राइम ब्रांच की मशहूर पत्थर की बिल्डिंग को स्ट्रक्चर के हिसाब से असुरक्षित घोषित करने के बाद गिरा दिया गया

मुंबई : पुलिसिंग इतिहास का एक अहम चैप्टर खत्म हो गया है। क्रॉफर्ड मार्केट के पास पुलिस कमिश्नर के हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद मुंबई क्राइम ब्रांच की मशहूर पत्थर की बिल्डिंग को स्ट्रक्चर के हिसाब से असुरक्षित घोषित करने के बाद गिरा दिया गया है। भले ही यह स्ट्रक्चर खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर हाई-प्रोफाइल पूछताछ से लेकर बड़े टेरर और अंडरवर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन तक की जो विरासत बनी है, वह शहर की यादों में अभी भी बसी हुई है।

बिल्डिंग असुरक्षित घोषित; पत्थरों को बचाया जाएगा ब्रिटिश जमाने का यह स्ट्रक्चर, जो दशकों तक क्राइम ब्रांच का हेडक्वार्टर था, बहुत खराब हो गया था। एक स्ट्रक्चरल ऑडिट में इसे गिराने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि ऐतिहासिक बिल्डिंग के पत्थरों को फेंका नहीं जाएगा। इसके बजाय, उन्हें बचाकर रखा जाएगा और इसकी हेरिटेज वैल्यू बनाए रखने के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। बचाए गए पत्थरों का इस्तेमाल नायगांव पुलिस परेड ग्राउंड में किले जैसी मेमोरियल दीवार बनाने के लिए किया जाएगा, ताकि यह पक्का हो सके कि इस मशहूर स्ट्रक्चर की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक आगे बढ़े। दशकों तक, यह पत्थर की बिल्डिंग मुंबई की सबसे बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मुख्य सेंटर थी। जॉइंट कमिश्नर और स्पेशल क्राइम यूनिट समेत सीनियर अधिकारी यहीं से काम करते थे।

इस बिल्डिंग की दीवारों के अंदर हुई कुछ सबसे अहम पूछताछ में शामिल हैं: 26/11 का आतंकवादी अजमल कसाब 1993 के सीरियल बम धमाकों की जांच के दौरान संजय दत्त छोटा राजन, अबू सलेम, अरुण गवली, एजाज लकड़ावाला जैसे अंडरवर्ल्ड के लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल चार्ल्स शोभराज गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड के गुर्गों के लिए, ''क्राइम ब्रांच स्टोन बिल्डिंग'' शब्द सुनते ही डर लगने लगता था। पुराने अधिकारियों की इमोशनल विदाई इस गिराए जाने से मौजूदा और रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों में पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। कई लोग इस मशहूर इमारत की आखिरी झलक पाने के लिए यहां आए हैं। सबसे इमोशनल मुलाकातों में से एक रिटायर्ड अधिकारी मधुकर जेंडे की हुई, जो चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार करने के लिए मशहूर थे। वह बिल्डिंग के बचे हुए हिस्सों के सामने चुपचाप खड़े रहे, और उन कई हाई-स्टेक जांचों को याद किया जो कभी यहां हुई थीं और अंडरवर्ल्ड में इसकी कितनी इज्जत थी।

ठाणे : आठ घंटे फ्री वाईफाई सुविधा देने का ऐलान

ठाणे : ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में फ्री वाईफाई सुविधा देने का ऐलान राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने किया है। यह वाईफाई सुविधा शहर के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाली पब्लिक जगहों पर मिलेगी। हालांकि यह सुविधा पहले आठ घंटे फ्री रहेगी, लेकिन उसके बाद अगर आप सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फीस देनी होगी। पहले भी इस पहल पर विवाद हुआ था पहले भी शहर में वाईफाई सुविधा देने का प्लान बनाया गया था, लेकिन यह सुविधा विवादों में घिर गई थी। इससे पहले ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ठाणे शहर को फ्री वाईफाई सुविधा देने की स्कीम लागू की गई थी। उस समय भाजपा के कॉर्पोरेटर्स ने जनरल असेंबली में सनसनीखेज आरोप लगाया था कि फ्री वाईफाई सर्विस देने वाली संबंधित कंपनी एकतरफा कनेक्शन बेचकर लाखों रुपये कमा रही है।

मुंबई : विंटर सेशन में सरकार 18 बिल पेश करेगी और उन पर सही बहस की कोशिश करेगी - मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हालांकि राज्य में विपक्ष ''बिना दिशा वाला, निराश और पूरी तरह से नेगेटिव'' है, लेकिन सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह समझती है और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए संवेदनशीलता के साथ शासन जारी रखेगी। फडणवीस ने कहा, ''एक हफ़्ते के विंटर सेशन में सरकार 18 बिल पेश करेगी और उन पर सही बहस की कोशिश करेगी।'' विपक्ष के टी पार्टी के बॉयकॉट पर तीखी प्रतिक्रिया सेशन से पहले सरकार की पारंपरिक टी पार्टी का विपक्ष के बॉयकॉट करने पर, फडणवीस ने कहा कि यह कदम गंभीरता की कमी दिखाता है। उन्होंने कहा, ''लेकिन आप कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसका चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या असेंबली स्पीकर और काउंसिल चेयरमैन जैसे पदों सहित संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है।'' फडणवीस ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, उन्होंने कहा कि बॉयकॉट की घोषणा करने वाला उनका पत्र दो घंटे देरी से पहुंचा और उस पर एनसीपी (सपा) के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ब्रीफिंग और उससे पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार मौजूद नहीं थे। अटकलें खारिज करते हुए, फडणवीस ने साफ किया कि पवार एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने के बाद बहरीन से पुणे आए थे और रविवार रात को नागपुर पहुंचेंगे। दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को अपॉइंट करने में बहुत ज्यादा देरी पर, फडणवीस ने यह कहते हुए बात टाल दी कि अपॉइंट करना स्पीकर और काउंसिल चेयरमैन का अधिकार है। सरकार का कहना है कि 90 लाख किसानों को मदद दी गई; और राहत का इंतजार है विपक्ष के उन आरोपों का जवाब देते हुए कि परेशान किसानों को कोई मदद नहीं मिली, फडणवीस ने कहा कि सरकार पहले ही ज्यादा बारिश, बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से जूझ रहे 90 लाख किसानों को फाइनेंशियल मदद दे चुकी है। अधूरे केवाईसी जैसे मुद्दों के कारण लगभग 8 लाख किसानों को अभी भी राहत मिलनी बाकी है। उन्होंने कहा कि फसल लोन माफी स्कीम का मूल्यांकन प्रवीण परदेसी कमेटी कर रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि केवल योग्य लाभार्थियों को ही शामिल किया जाए।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

लोकतंत्र की सेहत पर सवाल...

दिल्ली में सर्दियां शुरू हो गई हैं, लेकिन राजधानी में राजनीतिक पारा चढ़ने वाला है। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। एक दिसंबर से शुरू होने वाला यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। यानी संसद करीब 15 दिन ही चलेगी। यह सूचना भले ही प्रशासनिक कागजों में दर्ज हो, पर उसके भीतर देश की राजनीति की एक गहरी बेचैनी छिपी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब संसद के सत्र छोटे होने लगते हैं तो यह कुछ और नहीं जनता की आवाज का सिकुड़ना ही है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जहां पांच सौ से अधिक लोकसभा सदस्य और ढाई सौ के करीब राज्यसभा सदस्य जनता की आवाज लेकर सदन में पहुंचते हैं, वहां सवाल यह है कि क्या इन सात सौ अस्सी से अधिक प्रतिनिधियों को मात्र पंद्रह दिनों में अपनी बात कहने का अवसर मिल पाएगा? यह गणित जितना सरल दिखता है, उतना ही खतरनाक है। अगर हर सांसद को अपने क्षेत्र की ओर से सिर्फ पांच मिनट बोलने का ही अवसर मिले, तो पैंसठ घंटे से अधिक समय चाहिए। जबकि पूरे सत्र में मुश्किल से नब्बे घंटे की कार्यवाही होती है। उसमें प्रश्नकाल, विधेयक, औपचारिक भाषण और सरकार के एजेंडे का समय जोड़ दें तो बहस के लिए क्या बचता है? शायद वही, जो लोकतंत्र के पास अब धीरे-धीरे बचा रह गया है बहुत कम समय और बहुत लंबा मौन।

संसद को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। यह वह जगह है जहां असहमति को जगह मिलती है और बहस के जरिये सच्चाई निकलती है। यहां जनता के सवालों को सत्ता के सामने रखा जाता है, पर पिछले कुछ वर्षों में यह आत्मा थका-सा लगने लगा है। संसद अब बहस का नहीं, बल्कि विधेयक पारित करने का केंद्र बनती जा रही है। कई बार तो लगता है कि विधेयक पहले से तय होकर आते हैं और संसद सिर्फ उस पर मुहर लगाने की औपचारिकता निभाती है। लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ी ताकत होती है, पर जब संवाद घटता है, तो लोकतंत्र सिर्फ औपचारिक शब्द बनकर रह जाता है। लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ केवल सत्ता पक्ष नहीं होता, बल्कि विपक्ष भी उसका हिस्सा होता है। विपक्ष कोई विरोधी दल नहीं, बल्कि लोकतंत्र का दूसरा फेफड़ा है। जब एक पक्ष बोलता है और दूसरा सुनता है, तभी यह प्रणाली सांस लेती है, मगर अब वह सांस घुटने लगी है। संसद में विपक्ष के बोलने के समय को सीमित किया जाना, असहमति को विघ्न मान लेना और सवाल पूछने वालों को 'अव्यवस्थित' करार देना, यह लोकतंत्र के चरित्र में आई सबसे खतरनाक प्रवृत्ति है।

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK
LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE
SHARE
COMMENT
SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में चल रही गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत;

दादर में पड़ोसी ने सामाजिक कार्यकर्ता पर किया हमला

मुंबई : दादर में एक 32 साल के सामाजिक कार्यकर्ता पर उसके पड़ोसी ने हमला किया है, क्योंकि उसने कथित तौर पर अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में चल रही कई गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत की थी। दादर में पड़ोसी ने सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला कियाचंद्रकांत कांबले, 32, जो दादर पश्चिम में सेनापति बापट मार्ग पर स्वराज्य कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, दीपक चोगुले और उसके साथ आए दो अन्य लोगों ने उनके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे उनकी नाक और जबड़ा टूट गया।दादर पुलिस ने चोगुले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 117 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। चोगुले फरार है।पुलिस ने बताया कि कांबले और चोगुले के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था, जिसमें कांबले ने

पुलिस और अन्य अधिकारियों से कई शिकायतें की थीं। रविवार रात को जब कांबले अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में घुसे, तो चोगुले ने बेरहमी से उनके चेहरे पर मुक्का मारा, जबकि उसके साथियों ने कांबले को गालियां दीं।कांबले को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फ्रैक्चर और टूटे दांतों के कारण चेहरे की चोटों का इलाज चल रहा है।कांबले ने कहा, "मैं अपनी हाउसिंग सोसाइटी में गुंडों के खिलाफ शिकायत कर रहा हूं जो ड्रग्स बेचने से लेकर अतिक्रमण करने और फुटपाथ पर गाड़ियां धोने जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। फिर भी, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। यह हम जैसे सामाजिक कार्यकताओं के लिए बहुत निराशाजनक है।"उन्होंने कहा कि उन्होंने मार्च 2024 में दादर पुलिस से चोगुले के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, क्योंकि वह कथित तौर पर अपनी हाउसिंग सोसाइटी में अवैध जुए का धंधा चला रहा था और फुटपाथ पर गाड़ी धोने की यूनिट चला रहा था।हाल ही में 12 अक्टूबर को, कांबले ने दादर पुलिस से शिकायत की थी कि चोगुले और उसके साथी शराब और ड्रग्स के नशे में उसे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने अपनी मां और बहन की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई थी, जिनके साथ वह रहते हैं।

कांबले पर हुए हमले ने सोशल मीडिया पर ध्यान खींचा है, जहां नागरिकों ने पुलिस कार्रवाई की कमी पर चिंता जताई है। सत्येन मेहता ने एक्स पर कहाः "यह एक गंभीर समस्या है। बीएमसी/पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और चेतन कांबले जैसे ईमानदार नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।" मेहता ने इस बारे में भी बात की कि अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई न होने की वजह से उन जैसे लोग "अतिक्रमण करने वालों का सामना" करने से पीछे हट गए हैं। एक अकाउंट ने कहा कि इस तरह की निष्क्रियता ही अवैध अतिक्रमण के फलने-फूलने का कारण है।

मुंबई : नशा मुक्ति संघर्ष अभियान; सनबर्न फेस्टिवल को कैंसिल करने की मांग

मुंबई : सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने लोगों के चलाए जा रहे नशा मुक्ति संघर्ष अभियान के साथ हाथ मिलाया है और मुंबई में होने वाले सनबर्न फेस्टिवल को कैंसिल करने की मांग की है। इन ग्रुप्स का आरोप है कि यह बड़ा इवेंट ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देता है, जो उनके हिसाब से महाराष्ट्र के कल्चरल मूल्यों के खिलाफ है, और उन्होंने सरकारी अधिकारियों से सभी परमिशन रद्द करने की मांग की है।

सनबर्न मुंबई डेब्यू से बड़ा विवाद

एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक इवेंट सनबर्न फेस्टिवल 2025, जो 19 से 21 दिसंबर तक मुंबई में होने वाला है, अपने डेब्यू से पहले ही विवादों में घिर गया है। नशा मुक्ति संघर्ष समिति, जिसमें शहर भर के प्रोफेसर और जानकार शामिल हैं, ने सनबर्न को "ड्रग एडिक्ट्स का फेस्टिवल" बताया है जो नशे के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देता है और युवाओं को खतरे में डालता है।

ड्रग-विरोधी कैंपेन ने मांग की है कि महाराष्ट्र में सनबर्न को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, और इसके लिए राज्य की नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला दिया है। उनका दावा है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मुंबई पुलिस कमिश्नर समेत सीनियर अधिकारियों से परमिशन देने से मना करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेसी ने "कोई सपोर्ट नहीं किया।" ऑर्गनाइजर पर ड्रग कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर और मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर श्रीपद सामंत ने फेस्टिवल को "महाराष्ट्र के कल्चर के लिए एक शर्म की बात" कहा। उन्होंने कहा कि सनबर्न का "पिछले इवेंट्स में केटामाइन समेत नारकोटिक सब्सटेंस के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और डिस्ट्रीब्यूशन" का इतिहास रहा है। पेनल्टी माफ करने पर आलोचना सोमवार को मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैंपेन ने फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर का कथित तौर पर फेवर करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने पिछले सनबर्न एडिशन के दौरान पुणे में गैर-कानूनी जमीन की खुदाई के लिए लगाए गए ₹60.52 लाख के फाइन को माफ करने के सरकार के फैसले की ओर इशारा किया।

12 से 14 दिसंबर तक चलेगा गायमुख घाट रोड रिपेयर का काम,

भारी गाड़ियों को किया जाएगा डायवर्ट

ठाणे : गायमुख घाट रोड का वह जरूरी हिस्सा, जो ठाणे, मीरा भायंदर और मुंबई-अहमदाबाद रूट पर लगातार ट्रैफिक की रुकावट बना रहता है, एक बार फिर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर का काम 12 से 14 दिसंबर तक चलेगा, इस दौरान भारी गाड़ियों को भिवंडी-वाड़ा रूट, मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे और काशेली-काल्हेर रोड पर डायवर्ट किया जाएगा। हल्के वाहनों को घाट सेक्शन से जाने की इजाजत होगी, लेकिन सिर्फ. एक तरफा, वन-वे मूवमेंट में, जिससे ठाणे, भिवंडी, वसई, घोड़बंदर घाट और दूसरे रास्तों पर जाम की चिंता बढ़ गई है।

भारी गाड़ियों को भिवंडी और मुंबई-नासिक हाईवे के रास्ते डायवर्ट किया गया PWD और TMC ने हाल ही में गायमुख घाट रोड के 500 मीटर हिस्से को रिपेयर करने के लिए ठाणे ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच से मंजूरी मांगी थी। काम के दौरान, हल्के वाहनों को एक ही लेन से दोनों तरफ जाने की इजाजत होगी। अगर घोड़बंदर घाट पर वन-वे ट्रैफिक शुरू किया जाता है, तो पालघर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को भिवंडी-वाड़ा, काशेली-काल्हेर और मुंबई-नासिक हाईवे से डायवर्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इससे सभी डायवर्जन रूट पर ट्रैफिक लोड काफी बढ़ सकता है।

तीन दिन का रिपेयर विंडो नोटिफाई किया गया पुलिस डिप्टी कमिश्नर (ट्रैफिक), पंकज शिरसाट ने बताया कि ऑफिशियल ट्रैफिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, रिपेयर का काम 12 दिसंबर को रात 12:01 बजे शुरू होगा और 14 दिसंबर को रात 11:59 बजे तक चलेगा। लगाई गई पाबंदियां और डायवर्जन तीन दिन के दौरानः मुंबई/ठाणे से घोड़बंदर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को माजीवाड़ा -जंक्शन और कपूरबावड़ी पर एंट्री करने से रोक दिया जाएगा।

रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : बुधवार 10 दिसम्बर 2025 से 16 दिसम्बर 2025

राज्य में बाल विवाह के मामलों की संख्या में 800 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी...

मुंबई : महाराष्ट्र ने पिछले सात सालों में 6,428 बाल विवाह रोके हैं, जबकि राज्य में ऐसी घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पता चले बाल विवाह के मामलों की संख्या में 800 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है - 2018-19 में 187 मामलों से बढ़कर इस साल अप्रैल 2025 और नवंबर 2025 के बीच 945 हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि लगातार बढ़ोतरी बेहतर रिपोर्टिंग के साथ-साथ लगातार सामाजिक-आर्थिक दबावों को दशार्ती है जो परिवारों को, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में, नाबालिगों की शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। यह ट्रेंड साल-दर-साल बढ़ोतरी दिखाता है, जिसमें महामारी के सालों ने कमजोरियों को और बढ़ा दिया, जिससे कई परिवारों को कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

6,428 से ज्यादा रोके गए विवाहों और 516 FIR का कुल आंकड़ा इस अवधि के दौरान किए गए हस्तक्षेपों के पैमाने को उजागर करता है। आंकड़ों के अनुसार, WCD ने 2018-19 में 187, 2019-20 में 240, 2020-21 में 519, 2021-22 में 831 और 2022-23 में 930 बाल विवाह रोके। इसके बाद 2023-24 और 2024-25 में इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई, जब राज्य ने क्रमशः 1,243 और 1,533 बाल विवाह रोके। अप्रैल 2025 और नवंबर 2025 के बीच, राज्य में 945 मामले सामने आए।इसी अवधि के दौरान, बाल विवाह रोकने के लिए क्रमशः 10, 30, 45, 74, 71, 108, 74 और 97 FIR दर्ज की गईं। अप्रैल 2025 और नवंबर के बीच, पूरे राज्य में 97 FIR दर्ज की गईं। महिला एवं बाल विकास कमिश्नर नयना गुंडे ने बाल विवाह में बढ़ोतरी का कारण स्कूल छोड़ने और गरीबी को बताया। ''हां, पिछले कुछ सालों में, हमने 6,599 से ज्यादा बाल विवाह सफलतापूर्वक रोके हैं और इससे संबंधित लगभग 500 FIR दर्ज की हैं। इसके अलावा, बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत, हमने पूरे राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 25,562 बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए हैं। गुंडे ने आगे कहा कि WCD ने UNICEF के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की है।

मुंबई : कंस्ट्रक्शन साइट्स को हवा की क्वालिटी के उल्लंघन पर 45 लाख का जुमार्ना; कारण बताओ नोटिस जारी...

कारण बताओ
NOTICE
जारी

मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम पिछले दो महीनों में शहर भर में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एयर पॉल्यूशन कम करने के नियमों का उल्लंघन करने वाले 4,000 से ज्यादा लोगों से जुमार्ने के तौर पर ₹45 लाख से ज्यादा की रकम इकट्ठा की है। इसके अलावा, 200 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स को काम रोकने के नोटिस जारी किए गए हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम के डेटा के अनुसार, अलग-अलग वार्डों में 4,209 उल्लंघन दर्ज किए गए, जिनमें गंदी जगहें, तिरपाल कवर की कमी, कचरा जलाना और बिना इजाजत मलबा फेंकना शामिल हैं, और 200 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स को काम रोकने के नोटिस जारी किए गए हैं। 4,209 मामलों में से, नवंबर में ₹22,26,442 के जुमार्ने वाले 1014 मामले और अक्टूबर में ₹22,84,094 के जुमार्ने वाले 3195 मामले सामने आए। अक्टूबर में उ-वार्ड में लगभग 2,500 मामले सामने आए। ये जुमार्ने सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों वाली फ्लाइंग स्क्वॉड ने लगाए। एक अधिकारी ने कहा, ''फ्लाइंग स्क्वॉड पूरे शहर में इंस्पेक्शन जारी रखे हुए हैं।''एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अविनाश ढकने ने कहा कि जुमार्ना लगाया गया है, लेकिन नगर निकाय बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है।

वरिष्ठ नागरिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता...

सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के दो आदेश रद्द

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें 53 साल के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को उसके 75 साल के पिता, जो एक रिटायर्ड कअर अधिकारी हैं, के मालिकाना हक वाले बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007, जो कमजोर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, का इस्तेमाल ''जल्दबाजी में बेदखली'' के लिए एक हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता, जब उत्पीड़न या भरण-पोषण से इनकार का कोई आरोप न हो। ल्उ ने बेटे की बेदखली रद्द की, कहा वरिष्ठ नागरिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकतायह विवाद अंधेरी में एक ग्राउंड-प्लस-वन बंगले से जुड़ा है। पिता, जो उसी इलाके में एक दूसरे फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, ने ''मानवता, प्यार और स्नेह'' के कारण अपने बेटे को बंगले में रहने की इजाजत दी थी।

मार्च 2024 में, उन्होंने बेटे को बेदखल करने के लिए ट्रिब्यूनल से संपर्क किया, उस पर अपनी बुढ़ापे का ''गलत फायदा उठाने'', पूरे परिसर पर कब्जा करने और बिना अनुमति के घर के कुछ हिस्से को टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए किराए पर देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि वह उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण बंगले में शिफ्ट होना चाहते हैं।बेटे ने बेदखली का विरोध किया और कहा कि उसके पिता 1,600 वर्ग फुट के अपार्टमेंट में घरेलू कर्मचारियों के साथ आराम से रहते हैं और उनके पास कई अन्य आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां हैं। उसने 2013 के एक लिखित घोषणापत्र का हवाला दिया, जिसमें उसने कहा कि उसे और उसकी पत्नी को बंगले में रहने और अपना व्यवसाय करने की अनुमति दी गई थी।

26 अगस्त, 2025 को ट्रिब्यूनल ने बेटे को 30 दिनों के भीतर बेदखल करने का आदेश दिया। अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 1 अक्टूबर, 2025 को इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद बेटे ने हाई कोर्ट का रुख किया, यह कहते हुए कि वह अपने पिता को ग्राउंड फ्लोर इस्तेमाल करने देने को तैयार है और पहली मंजिल अपने पास रखने की अनुमति मांगी। ल्उ के सामने, पिता के वकील ने तर्क दिया कि संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर बेटे द्वारा पहले दायर किए गए सिविल मुकदमे के लंबित होने से वरिष्ठ नागरिक को अधिनियम के तहत बेदखली की मांग करने से नहीं रोका जा सकता।

कमजोर पड़ता 2001 में परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हेरफेर का मामला; बयानों से मुकर रहे हैं मुख्य गवाह

मुंबई : 2001 में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोपों के सामने आने के दो दशक से ज्यादा समय बाद, एक स्पेशल कोर्ट में जुड़े हुए कई मुकदमों में अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर पड़ता दिख रहा है झ मुख्य गवाह अपने बयानों से मुकर रहे हैं, हस्ताक्षरों पर सवाल उठा रहे हैं और याददाश्त कमजोर होने का हवाला दे रहे हैं। कोर्ट ने कई रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों के बयान दर्ज किए, जिन्होंने 1999-2001 की परीक्षाओं के दौरान इनविजिलेटर के तौर पर काम किया था, साथ ही उन उम्मीदवारों के भी जिनके नतीजे कथित तौर पर गड़बड़ी से प्रभावित थे। एक ही तरह का पैटर्न सामने आया है, जिसमें गवाह इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आंसर शीट पर किए गए हस्ताक्षर उनके हैं, यह कह रहे हैं कि उन्हें 20 साल से ज्यादा समय बाद की घटनाएं याद नहीं हैं, या जांच के दौरान एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा कथित तौर पर दर्ज किए गए बयानों से पीछे हट रहे हैं। यह घोटाला 2001 में सामने आया, जब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने मंत्रालय सहायकों और अन्य पदों की 1999 की भर्ती के लिए देरी से परीक्षाएं आयोजित कीं।

शिकायतों और आंतरिक जांच के बाद, आरोप लगे कि मूल आंसर शीट को नकली शीट से बदल दिया गया था, अंकों से संबंधित कंप्यूटर डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और कुछ उम्मीदवारों का पक्ष लेने के लिए इंटरव्यू के अंकों को मनमाने ढंग से बढ़ाया गया था। इन आरोपों के आधार पर, एंटी-करप्शन ब्यूरो की मुंबई इकाई ने 2002 में एक मामला दर्ज किया और जांच अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद कई चार्जशीट दायर की गईं और कई संबंधित मुकदमों को एक साथ मिला दिया गया। जांच के दौरान, 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें तत्कालीन महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन अध्यक्ष, एस.डी. कर्णिक, पूर्व परीक्षा नियंत्रक सुधाकर सरोदे, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन सदस्य सायली जोशी और पुलिस उपाधीक्षक, बाबन कदम, सहित अन्य लोग शामिल थे।

पिछले हफ्ते जिन गवाहों से पूछताछ की गई, उनमें जयप्रकाश मनसारामजी अंबाडे भी थे, जो एक रिटायर्ड मंत्रालय अधिकारी थे और बाद में अंडर-सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे। यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें इनविजिलेटर के तौर पर तैनात किया गया था, अंबाडे ने इस बात से इनकार किया कि एक आंसर शीट पर उनके नाम से किया गया हस्ताक्षर उनके नमूना हस्ताक्षर से मेल खाता है और लिखावट और कागज की गुणवत्ता में अंतर बताया। इसी तरह के सबूत पूर्व इनविजिलेटर शंकर शामराव गवहाले और मनोज विट्ठल पाटिल ने परेल के केंद्रों पर, और माधव कुंडलिक अवहाड ने सायन के एक केंद्र पर दिए। उनमें से कई को प्रॉसिक्यूशन की रिक्वेस्ट पर हॉस्टाइल घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने पहले के बयान बदल दिए थे।एक मामले में, अव्हाड ने एक आंसर शीट पर अपने सिग्नेचर होने की बात मानी, जबकि उसी सीट नंबर वाली दूसरी शीट पर सिग्नेचर होने से इनकार कर दिया झ यह एक विरोधाभास था, जिसके बारे में डिफेंस वकीलों ने तर्क दिया कि इससे आंसर शीट की अदला-बदली या जालसाजी साबित करने के लिए सिग्नेचर पर आधारित प्रॉसिक्यूशन का भरोसा कमजोर होता है। गवाहियों ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। कई गवाहों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें याद नहीं है कि उनके एंटी-करप्शन ब्यूरो बयान उन्हें पढ़कर सुनाए गए थे या समझाए गए थे; जब सैंपल सिग्नेचर लिए गए थे, तब पंच गवाह मौजूद नहीं थे; और गवाहों ने उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाए जाने से इनकार किया, जिन्हें बाद में उनसे जोड़ा गया था।

मुंबई : भगवद गीता और महिलाओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट; एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

मुंबई: मंगलुरु सिटी पुलिस ने मुंबई के एक रहने वाले को गिरफ्तार किया है, जिस पर 2024 में दुश्मनी या नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करने का आरोप है। आरोपी, जो सऊदी अरब में काम कर रहा था, उसे लुक आउट सर्कुलर के आधार पर मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी, फेलिक्स एडवर्ड मथाइस (उम्र 56), पर आरोप है कि उसने फरवरी 2024 में भगवद गीता और महिलाओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट शेयर किए थे।

उसके खिलाफ कंकनाडी सिटी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 153(अ), 504, 507, 509 और IT एक्ट की धारा 66(ऊ) के तहत केस दर्ज किया गया था। जिस समय केस दर्ज किया गया था, मथाइस नौकरी के लिए सऊदी अरब में था, जिससे उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आरोपी, जो मूल रूप से मुंबई के चारकोप का रहने वाला था, उसके विदेश में नौकरी करने के बारे में मिली जानकारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ LOC जारी किया था।

10 सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद टॉप पर, यह प्रदूषण पूरे एनसीआर में फैला

–दिल्ली के स्मॉग के लिए ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और पावर जनरेशन मुख्य कारण

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर में नवंबर सबसे प्रदूषित महीना रहा। इस दौरान भारत के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद इस सूची में सबसे ऊपर रहा, जबकि राजधानी दिल्ली चौथे नंबर पर आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के बहादुरगढ़ को छोड़ दें तो टॉप 10 शहरों में से किसी में भी एक दिन भी हवा साफ नहीं रही। यह प्रदूषण पूरे एनसीआर में फैला है और एक शहर का प्रदूषण दूसरे शहरों की हवा को भी खराब कर रहा है।

दिल्ली में नवंबर में पीएम2.5 का औसत स्तर 215 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटररहा, जो अक्टूबर के मुकाबले दोगुना था। अक्टूबर में यह स्तर 107 था। दिल्ली में 23 दिन हवा बहुत खराब श्रेणी में रही और 6 दिन गंभीर श्रेणी में। इससे पता चलता है कि सर्दियों में स्मॉग यानी धुएं और कोहरे का मिश्रण कितना खतरनाक हो जाता है। गाजियाबाद में नवंबर में पीएम2.5 का औसत स्तर 224 दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय सुरक्षित सीमा से तीन गुना से भी ज्यादा है। गाजियाबाद में 19 दिन हवा बहुत खराब और 10 दिन गंभीर रही। इस लिस्ट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहादुरगढ़, हापुड़, बागपत, सोनीपत, मेरठ और रोहतक जैसे शहर भी शामिल थे। इस तरह एनसीआर देश का सबसे प्रदूषित इलाका बन गया। यूपी के 6 शहर टॉप 10 में थे, हरियाणा के 3 और दिल्ली का 1 शहर।

एनालिस्ट मनोज कुमार ने कहा कि पराली जलाने का असर काफी कम होने के बावजूद, एनसीआर के 29 शहरों में से 20 में पिछले साल से ज़्यादा प्रदूषण रहा। कई शहरों में तो एक दिन भी हवा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक मानकों के अंदर नहीं रही। इससे साफ पता चलता है कि प्रदूषण के मुख्य कारण साल भर रहने वाले स्रोत हैं, जैसे कि गाड़ियां, इंडस्ट्री, पावर प्लांट और दूसरी तरह के जलने वाले स्रोत। अगर इन क्षेत्रों में प्रदूषण कम नहीं किया गया, तो शहर लगातार मानकों को तोड़ते रहेंगे।

यह बात गौर करने वाली है कि इस नवंबर में दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान काफी कम रहा। पिछले साल जहां यह 20फीसदी था, वहीं इस साल यह औसतन 7फीसदी रहा। सबसे ज्यादा योगदान भी 38फीसदी से घटकर 22फीसदी हो गया। इससे यह संकेत मिलता है कि अब दिल्ली के स्मॉग के लिए स्थानीय, साल भर रहने वाले स्रोत जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और पावर जनरेशन मुख्य कारण बन गए हैं।

अब कांग्रेस को बाय–बाय करेंगे सिद्धू बोले– पंजाब में सीएम पद को लेकर भारी घमासान

चंडीगढ़, ।पंजाब कांग्रेस की आतंरिक कलह अब सड़क पर आ गई है। कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रहे गहरे आंतरिक मतभेदों को खुलकर सामने ला दिया है।उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के भीतर ही पांच नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं और वे अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी में वर्तमान स्थिति और भविष्य को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से अपनी मुलाकात के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तथाकथित वीवीआईपी ने शिवालिक रेंज में बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा कर लिया है।उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे वैध बनाने जा रहे हैं, जो वह नहीं कर सकते, क्योंकि यह जमीन सरकार की है।

उनका दूसरा मुद्दा कानून व्यवस्था से संबंधित था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तीसरा मुद्दा पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित था। उनका चौथा बिंदु यह था कि नए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया, पांच नेता पहले से ही मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी पंजाब कांग्रेस में प्रमुख नेताओं के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष और गुटबाजी को उजागर करती है।उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू भावनात्मक रूप से कांग्रेस और प्रियंका गांधी से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारी गुटबाजी के कारण उन्हें कोई भूमिका नहीं मिलेगी। उन्होंने सिद्धू के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए कहा, अगर कोई पार्टी हमें कोई भूमिका देती है, तो हम पंजाब को फिर से सोना बना सकते हैं। अगर कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो वह वापस लौट आएंगे।अन्यथा वह जीवन में खुश हैं।

कब तक भारत में शरण लेकर रहेंगी शेख हसीना, जयशंकर ने कहा... वे जब तक चाहें रह सकती

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में ठहरने को उनकी निजी पसंद बताया। उन्होंने कहा कि इसका निर्णय उन परिस्थितियों से जुड़ा है जिनके चलते वे भारत आईं। 78 वर्षीय शेख हसीना बीते साल अगस्त में भारत आई थीं, जब बांग्लादेश में उनकी 15 साल की सत्ता का अंत हिंसा के बीच हुआ था। एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर ने शेख हसीना के भारत में लंबे समय तक रहने और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शेख हसीना का भारत में रहना मूलतः उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन जिन परिस्थितियों में वे सत्ता छोड़कर भारत आईं वे इस फैसले के पीछे महत्वपूर्ण कारक हैं। लेकिन फिर भी, अंतिम फैसला उन्हें ही करना है।

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने शेख हसीना को आश्वासन दिया है कि वह जब तक चाहें, भारत में रह सकती हैं। भारत सरकार ने पहले भी कई बार कहा है कि मानवीय आधार पर हसीना को शरण दी गई है और उनकी सुरक्षा तथा सुविधा का पूरा ध्यान हमारी सरकार रख रही है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में जयशंकर ने पड़ोसी देश में लोकतंत्र की मजबूती पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतरिम सरकार के नेताओं ने खुद माना था कि उनका मुख्य विरोध पिछले चुनावों (जनवरी 2024) के तरीके से था। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर आशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत की शुभकामना है कि बांग्लादेश तरक्की करे। एक लोकतांत्रिक देश के रूप में हम चाहते हैं कि पड़ोसी देश में भी जनता की इच्छा का सम्मान लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी परिणाम आएगा, उसमें भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर संतुलित और परिपक्व दृष्टिकोण होगा और उम्मीद है कि रिश्ते और बेहतर होने है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन भारत ने अब तक इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत हसीना को प्रत्यर्पित करने के बजाय बांग्लादेश में स्थिर और भारत-अनुकूल सरकार की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। फिलहाल, शेख हसीना का भारत में रहना और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध अगले कुछ महीनों में होने वाले संभावित चुनावों पर काफी हद तक निर्भर करेगा।

बाबरी मस्जिद का शिलान्यास नया विवाद, बाबा रामदेव ने कहा - बाबर का महिमामंडन करने वाले देश के गद्दार

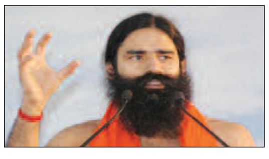

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूँ कबीर ने 6 दिसंबर को एक नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके पूरे देश में तीखी बहस छेड़ दी है। यह वही तारीख है जब 1992 में अयोध्या की विवादित बाबरी ढांचा कारसेवकों ने ढहा दिया था। जानबूझकर इसी तारीख का चयन करने को कई लोग उकसावे की कार्रवाई मान रहे हैं, जबकि हुमायूँ कबीर इसे अपना संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं।

इस घटना पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया योग गुरु बाबा रामदेव की आई। रामदेव ने बिना नाम लिए हुमायूँ कबीर और ऐसे सभी लोगों पर करारा हमला बोला जो बाबर का महिमामंडन करते हैं। उन्होंने कहा, ÷बाबर इस देश का नहीं था। जो लोग भी उसका गुणगान करते हैं, वे भारत के गद्दार हैं। 6 दिसंबर गुलामी के प्रतीकों को मिटाने का दिन है। भारत की जनता अब जाग गई है, वह किसी विदेशी आक्रमणकारी का महिमामंडन बर्दाश्त नहीं करेगी। रामदेव ने आगे कहा, यह देश महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सनातन धर्म और भगवान शिव का है, बाबर का नहीं। बाबर एक क्रूर विदेशी लुटेरा था। हम इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि बाबर न इस्लाम का सच्चा अनुयायी था और न ही वह मुसलमानों का प्रतिनिधि था। उसका नाम लेकर मस्जिद बनाना या उसकी तारीफ करना गलत है।

दूसरी ओर हुमायूँ कबीर ने अपने कदम का पुरजोर बचाव किया है। शिलान्यास समारोह में उन्होंने कहा, संविधान मुझे धार्मिक स्थल बनाने का पूरा अधिकार देता है। कोई मंदिर बना सकता है, कोई चर्च बना सकता है, तो मैं मस्जिद क्यों नहीं बना सकता? सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि बाबरी ढांचा हिंदू कारसेवकों ने गिराया था और हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए वहाँ राम मंदिर बन रहा है। लेकिन संविधान मुझे भी मस्जिद बनाने की इजाजत देता है। इसमें असंवैधानिक कुछ नहीं है। कबीर ने दावा किया कि उनके खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये मामले मस्जिद के निर्माण को नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने कहा, जिसे अल्लाह का साथ हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। अदालतें भी कह चुकी हैं कि भारत में मस्जिद बनाने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित 'नई बाबरी मस्जिद'का बजट लगभग 300 करोड़ रुपये है। मस्जिद के साथ-साथ एक बड़ा अस्पताल, अतिथि गृह और सभा भवन भी बनाया जाएगा। उनका कहना है कि यह परियोजना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक सेवा का भी बड़ा केंद्र बनेगी। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर देश में धार्मिक स्थलों, इतिहास और संवैधानिक अधिकारों को लेकर पुरानी बहस को हवा दे दी है। एक पक्ष इसे 6 दिसंबर की तारीख के साथ जानबूझकर किया गया उकसावा मान रहा है तो दूसरा पक्ष इसे मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बता रहा है। दोनों ओर से तीखी बयानबाजी के बीच पश्चिम बंगाल की सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूँ कबीर को पहले ही पार्टी से निलंबित कर रखा है, जिससे यह संकेत देता है कि ममता बनर्जी की पार्टी इस विवाद से दूरी बनाए रखना चाहती है।

हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी कहा- भारत में है सबसे ज्यादा नस्ल और रंगभेद

बेंगलुरु (एजेंसी)। भारतीय समाज दुनिया में सबसे ज्यादा नस्लवाद और रंगभेद करने वाले समाजों में से एक है। यह कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी शुक्रवार को की गई। कोर्ट ने कहा कि हम भारतीय भले ही कई बार दूसरों के ऊपर नस्लवाद और रंगभेद का आरोप लगाते हैं लेकिन असल में हम सबसे बड़े नस्लवादी और रंगभेदी हैं। जस्टिस अरुण ने भारत की गुलामी के लिए भी नस्लवादी और रंगभेदी सोच को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, कुछ हजार अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने हमें इसलिए गुलाम बना लिया था क्योंकि हमारे भीतर उस समय भारतीयता का कोई बोध नहीं था। 200 साल की गुलामी के बाद जैसे ही वह भाव आया, हमने अँग्रेजों को भगा दिया। अब प्राइवेट कंपनियों और कॉरपोरेट सेक्टर का नव-उपनिवेशवाद शुरु हो गया है। इसका कारण फिर वही है... क्योंकि हम फिर उसी पुरानी आदत पर लौट आए हैं... इंसान को इंसान के रूप में न देखना। जस्टिस अरुण ने राजनीतिक प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के इसी रवैये की वजह से राजनीतिक पार्टियां भी इसके अनुसार ही नेताओं का चयन करती हैं। उन्होंने कहा, हम हर समुदाय को अलग प्रजाति की तरह देखते हैं और उसी के आधार पर भेदभाव करते हैं। इसी वजह से राजनीति में टिकट देने के समय भी पार्टियां उम्मीदवार की योग्यता से ज्यादा उसके समुदाय को महत्व देती हैं। हम कहते हैं की नेता भ्रष्ट हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लोकतंत्र में जनता को वही नेता मिलता है जिसके वह योग्य होते हैं।

एंकर सुधीर चौधरी बनाम कर्नाटक राज्य केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण ने कहा कि हम भारतीयों की इसी मानसिकता की वजह से भारत में समुदाय आधारित राजनीति और तुष्टिकरण की नीतियां बहुत आम हैं। उन्होंने कहा, हम भारतीयों की... हमारे हर समुदाय की यही समस्या है कि हम नहीं समझते कि यहां केवल एक ही प्रजाति है, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं। हम दुनिया की सबसे बड़े नस्लवादी समाजों में से एक हैं। हम दूसरे समाजों पर नस्लवाद और रंगभेद का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम भी किसी से कम नहीं है।

हाई कोर्ट की यह टिप्पणी न्यूज एंकर सुधीर चौधरी के केस में की, जिसमें उन्होंने 2023 में दर्ज किए गए एक हेट स्पीच केस को रद्द करने की मांग की थी। चौधरी पर आरोप था कि उन्होंने कर्नाटक सरकार की स्वावलंबी सारथी योजना पर झूठी और भड़काऊ रिपोर्ट चलाई है।जस्टिस अरुण ने पूछा कि क्या रिपोर्ट में सच में ऐसा कोई तथ्यात्मक झूठ था? क्या रिपोर्ट में यह था कि यह योजना केवल एक ही समुदाय को लाभ पहुंचाकर हिंदुओं को वंचित कर रही है। इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि शो में मुस्लिम समुदाय का दानवीकरण किया गया और उनके खिलाफ घृणा फैलाई गई। हालांकि, जस्टिस अरुण ने कहा कि राज्य और शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर पाते कि रिपोर्ट में स्पष्ट झूठ कहा गया था तो चैनल और एंकर को राहत मिल सकती है।अंतरिम आदेश पारित करते हुए जस्टिस अरुण ने कहा कि भले ही प्रतिवादी इस बात का दावा कर रहे हों कि भड़काऊ सामग्री है, लेकिन वह इसे साबित करने में सक्षम नहीं है कि कौन सा तथ्य झूठ है। इस मामले की सुनवाई अब 13 जनवरी 2026 को होगी।

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
HIGH COURT OF KARNATAKA

सुशांत केस से करियर हुआ चौपट... एक्टिंग छोड़ ये काम कर रहीं रिया चक्रवर्ती, खड़ी की 40 करोड़ की कंपनी!

बॉलीवुड और विवादों का नाता चोली-दामन वाला रहा है। यहां विवाद हैं तो कभी सफलता है। अक्सर ऐसा होता भी है कि कभी-कभी विवादों के चलते स्टार्स को फायदा भी होता है तो वहीं कई बार विवाद करियर पर इतने भारी पड़ते हैं कि चाहकर भी कुछ किया नहीं जा सकता है। साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और वो नाम था रिया चक्रवर्ती का। वही रिया जो इस पूरे केस में फंसी रहीं और उनका करियर भी इस केस के चलते बर्बाद हुआ। अब रिया ने एक्टिंग छोड़ कुछ और करना शुरू किया है, जिसके बाद उन्हें सफलता भी मिल रही है। रिया चक्रवर्ती ने अब एक्टिंग में किस्मत आजमाना बंद कर दिया है। रिया सुशांत केस से भले ही बरी हो गईं हैं लेकिन अब उन्होंने अपने करियर के लिए दूसरी राह चुनी है। दरअसल रिया चक्रवर्ती अब बिजनेसवुमन बनकर आगे बढ़ रही हैं। महज सालभर के भीतर ही 40 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर दी है। सीएनबीसी 18 को दिए इंटरव्यू में रिया ने बताया कि, सुशांत केस के बाद उन्हें समझ आया कि बॉलीवुड में उनकी राह आसान नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एक्टिंग को छोड़ कपड़ों का बिजनेस करने की ठानी। इस इंटरव्यू में रिया ने बताया कि उन्होंने खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया। साल 2024 में रिया ने अपने इस नए ब्रांड की शुरूआत की। पहले रिया ने इसकी शुरूआत ऑनलाइन की। इसके बाद साल 2025 में जून के महीने में उन्होंने अपना एक ऑफलाइन स्टोर भी लॉन्च किया। इसके बाद इसी साल उन्होंने अपना पहला ऑफलाइन स्टोर भी लॉन्च कर दिया। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती भी इसमें उनके पार्टनर हैं।

44 साल की हुई बॉलीवुड की ये हसीना

9 दिसंबर को हिंदी एक पॉपुलर एक्ट्रेस का जन्मदिन मनाया जाता है। इस एक्ट्रेस ने साल 2000 में एक सुपरहिट फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। लेकिन इससे पहले वह मॉडलिंग में भारत का नाम रोशन कर चुकी थी। बीते 25 साल से ये अदाकारा एक्टिंग की दुनिया में अपनी शानदार अदाकारी का लोहा मनवा रही है।

इतना ही नहीं अपने वक्त में ये अभिनेत्री हिंदी सिनेमा की नेशनल क्रश मानी जाती थी। आलम ये है कि 44 साल की उम्र में इस एक्ट्रेस की ब्यूटी के आगे बी टाउन की नई हसीनाएं भी फेल हैं। आइए जानते हैं कि वह अदाकारा कौन हैं- यहां बात अभिनेत्री दीया मिर्जा की जा रही है। अभिनेता आर माधवन की फिल्म रहना है तेरे दिल में से बॉलीवुड में एंट्री मारी। इससे पहले दीया ने मॉडलिंग करियर में खूब शोहरत हासिल की। वह साल 2000 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में दूसरी रनर-अप रहीं और फिर इसके तुरंत बाद मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2000 में उन्होंने जीत का परचम लहराकर देश का नाम रोशन किया।

दीया मिर्जा की हॉटनेस और नेचुरल ब्यूटी का अंदाजा आप उनकी इन फोटो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। फैंस को दीया सादगी भरा काफी पसंद आता है और वे उनकी फोटोज पर बेशुमार प्यार बरसाते हैं। बतौर एक्ट्रेस दीया मिर्जा का एक्टिंग करियर भी काफी सफल रहा है। दो दशक से अधिक समय से अदाकारी के क्षेत्र में दीया ने खूब नाम कमाया है।

नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की जोड़ी फिर करेगी कमाल, 'वध 2' की पहली झलक से उठा पर्दा, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर 'वध' ने लोगों का खूब मनोरंजन किया था। साल 2022 में आई इनकी फिल्म की खूब तारीफें हुए थीं। इस फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने दूसरे पार्ट का ऐलान कर दिया था, जो अब रिलीज के लिए तैयार हो चुका है। फिल्म की पहली झलक यानी पहले पोस्टर के साथ रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। 'वध 2' अब रिलीज के लिए तैयार है। इसे जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है। ये साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में तेजी से जगह बना रही है। लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह स्पिरिचुअल सीक्वल, वध की आत्मा को बरकरार रखते हुए एक नई कहानी में इन दिग्गज कलाकारों को नए किरदारों में पेश करती है।

पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'कभी-कभी जो दिखता है, वही पूरी सच्चाई नहीं होता! #Vdh2 सिनेमाघरों में 6 फरवरी 2026 से।' फिल्म के रिलीज७ में अब सिर्फ दो महीने बचे हैं और इसी बीच मेकर्स ने वध 2 के नए पोस्टर्स जारी कर उत्सुकता और बढ़ा दी है, जो दर्शकों के लिए एक खास तोहफा बनकर आए हैं। दमदार लीड जोड़ी को दशार्ते इन आकर्षक पोस्टर्स ने दर्शकों को एक प्रभावशाली सिनेमाई अनुभव का अहसास पहले से ही करा दिया है। सामने आए पोस्ट में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की झलक देखने को मिल रही है। दोनों की एक दिशा में देखते दिख रहे हैं। संजय पोस्टर में ब्लर हैं, वहीं नीना की झलक एकदम साफ है। वहीं एक और तस्वीर है जो इसके बिल्कुल उलट है।

ये दिलचस्प है कि नए पोस्टर्स 9 दिसंबर 2025 को ही रिलीज किए गए, ठीक वही तारीख जब 2022 में पहली वध रिलीज हुई थी। इस अनपेक्षित मेल ने फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए इसमें एक हल्का-सा पुरानी यादों से जुड़ा पल जोड़ दिया है।

'वध 2' को 56वें IFFI 2025 में दिखाए जाने के बाद से ही खूब सराहना मिल रही है। गाला प्रीमियर सेक्शन में इसकी स्क्रीनिंग हाउसफुल रही और दर्शकों ने तालियों और सच्ची तारीफ के साथ फिल्म को रिस्पॉन्स दिया। इस रिस्पॉन्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संजय मिश्रा और नीना गुप्ता भारत के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से क्यों गिने जाते हैं। फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

माहिका शर्मा को गलत एंगल से किया कैप्चर तो पैप्स पर भड़के हार्दिक पांड्या, कहा- 'हद ही पार कर दी'

एक्ट्रेस माहिका शर्मा का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्हें ऊप्स मूमेंट का शिकार होते देखा गया. अब उनके बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक्ट्रेस को गलत तरीके से कैप्चर करने को लेकर पैपराजी पर भड़क गए हैं. हार्दिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हर महिला को सम्मान दिया जाना चाहिए. क्रिकेटर ने पोस्ट में पैपराजी को इंसानियत बनाए रखने की भी सलाह दी है.

हार्दिक पांड्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- 'मैं समझता हूं कि लोगों की नजरों में रहने से ध्यान और जांच-पड़ताल की जरूरत पड़ती है, ये मेरी चुनी गई जिंदगी का हिस्सा है. लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने हद पार कर दी. माहिका बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में सीढ़ियों से उतर रही थीं, तभी मीडिया ने उन्हें ऐसे एंगल से कैद किया, जिस एंगल से कोई भी महिला तस्वीर लेना डिजर्व नहीं करती. एक प्राइवेट मूमेंट को घटिया सनसनी में बदल दिया गया.' हार्दिक ने पोस्ट में आगे लिखा- 'ये सुर्खियों या किसने क्या क्लिक किया, इसकी बात नहीं है, ये बुनियादी सम्मान की बात है. महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए. सभी को हद में रहने का हक है.

मुंबई : BMC की एक बड़ी इंटरनल रिव्यू में कई गड़बड़ियां और वार्ड अधिकारियों और बिल्डरों के बीच मिलीभगत का आरोप...

मुंबई : आइलैंड सिटी में सड़क चौड़ीकरण के लिए रुकावटें हटाने की पॉलिसी पर BMC की एक बड़ी इंटरनल रिव्यू में कई गड़बड़ियां और वार्ड अधिकारियों और बिल्डरों के बीच मिलीभगत का आरोप सामने आया है, जिसके बाद सिविक चीफ भूषण गागरानी ने 5 अक्टूबर को इस स्कीम को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) अश्विनी जोशी द्वारा तैयार की गई रिव्यू की फाइंडिंग्स हैं, जिसमें कहा गया है कि पॉलिसी को ''गलत इस्तेमाल, प्रक्रिया में कमियों और निगरानी में सिस्टमैटिक कमियों'' से कमजोर किया गया था।भाई बाल मुकुंद मार्ग पर, 30 में से 20 स्ट्रक्चर अभी भी हटाए जाने बाकी हैं। DCPR-2034 के रेगुलेशन 33(12)(इ) के तहत, BMC को मौजूदा सड़कों में रुकावट डालने वाले स्ट्रक्चर को हटाने का अधिकार है, जिसके बदले में एलिजिबल लोगों को कॉम्पेंसेटरी

बिल्ट-अप एरिया दिया जाता है। जोशी की फाइंडिंग्स में इसमें पांच बड़ी कमियां पाई गईं।पहला रेड फ्लैग तब सामने आया जब चौड़ीकरण के लिए चुनी गई सड़कों की प्रायोरिटी लिस्ट की दोबारा जांच की गई। हर वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर को तीन प्रायोरिटी वाली सड़कों को शॉर्टलिस्ट करना था, अप्रूवल लेना था, और रुकावटें हटाने से पहले एलिजिबल और इनएलिजिबल PAPs की लिस्ट पब्लिश करनी थी।हालांकि, इन मानदंडों को नियमित रूप से नजरअंदाज किया गया, कई वार्डों ने एक साथ कई सड़कों को लिस्ट किया और उन पर चुनिंदा रूप से स्ट्रक्चर गिराए। इसके अलावा, यह पाया गया कि जब अधिकांश अतिक्रमण हटा दिए गए थे, तब भी सड़क चौड़ीकरण शुरू नहीं हुआ, जिससे स्कीम का मकसद ही खत्म हो गया।दूसरी कमी यह थी कि सड़कों की प्रायोरिटी लिस्ट को बार-बार बदला गया। भिडे के नोट में कहा गया है, ''इससे सिस्टमैटिक प्लानिंग की कमी, मनमाने ढंग से सड़कों का चयन, और आंशिक NOC जारी करने का संकेत मिलता है, जिससे काम आधे-अधूरे रह गए।''तीसरी कमी प्रोटेक्टेड लोगों के लिए NOC के अनियमित ट्रांसफर से संबंधित थी, जो एक निश्चित एरिया के रिहैबिलिटेशन फ्लैट्स के हकदार हैं।

नालासोपारा : पांच दिन बाद 8 साल के लड़के की लाश बिल्डिंग के पानी के टैंक में मिलने से हड़कंप

नालासोपारा: नालासोपारा से लापता हुए 8 साल के लड़के की लाश पांच दिन बाद उसकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पानी के टैंक में मिलने से हड़कंप मच गया है। मरने वाले लड़के की पहचान मेहराज शेख के तौर पर हुई है। केस के बारे में लड़का अपने माता-पिता के साथ नालासोपारा वेस्ट के ताकिपाड़ा इलाके में करारी बाग बिल्डिंग में रहता था। 3 दिसंबर को स्कूल से लौटने के बाद वह खेलने के लिए निकला लेकिन घर नहीं लौटा। हर जगह ढूंढने के बाद, उसके माता-पिता ने 4 दिसंबर को नालासोपारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। नालासोपारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर किडनैपिंग का केस दर्ज किया था।

इस बीच, सोमवार सुबह, रहने वालों ने बिल्डिंग के पानी के टैंक से बदबू आने की शिकायत की। फायर ब्रिगेड और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पानी के टैंक की तलाशी लेने पर, लापता लड़के की लाश सड़ी-गली हालत में मिली। पुलिस जांच में पता चला कि पानी का टैंक खुला था, और मेहराज शायद उसमें गिर गया। नालासोपारा पुलिस ने मौत की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नालासोपारा पुलिस ने बताया कि इस हादसे में लापता हुआ लड़का किडनैप नहीं हुआ था, बल्कि लुका-छिपी खेलते समय गलती से अपनी बिल्डिंग के खुले पानी के टैंक में गिर गया था। नालासोपारा पुलिस ने बताया कि लड़के की मौत टैंक में डूबने से हुई एक दुर्घटना थी, लेकिन मरे हुए लड़के की माँ के आरोपों से सनसनी फैल गई है। माँ ने बताया कि मेहराज 3 दिसंबर को दोपहर 2 बजे स्कूल से लौटा था। उस दिन उसकी ट्यूशन नहीं थी, इसलिए वह खेलने के लिए बाहर चला गया। हालाँकि, कुछ देर बाद, उसने देखा कि वह अपनी रोज की जगह पर नहीं खेल रहा था।

मुंबई : हिट-एंड-रन में तेज रफ़्तार कार की टक्कर से 12 साल के लड़के की मौत

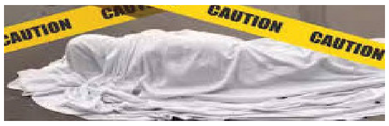

मुंबई : मानखुर्द में एक हिट-एंड-रन में एक अनजान तेज रफ़्तार कार की टक्कर से 12 साल के लड़के की मौत हो गई। ट्रॉम्बे पुलिस ने अनजान ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, लड़का मानखुर्द में सायन-पनवेल हाईवे की दक्षिण दिशा वाली लेन पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक चार पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी और गाड़ी चलाता रहा। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की; ड्राइवर ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी धीमी की, लेकिन फिर से तेज कर दी, एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी और दोनों सवारों को घायल करके भाग गया।गश्त पर मौजूद कांस्टेबल सचिन भोसले अपने एक साथी के साथ सबसे पहले मौके पर पहुंचे। ट्रॉम्बे पुलिस अधिकारी ने बताया, ''उन्होंने नाबालिग को डिवाइडर पर खून से लथपथ पड़ा पाया। चश्मदीदों ने बताया कि जब लड़का सड़क पार कर रहा था, तब कार ने उसे टक्कर मारी और फिर एक मोटरसाइकिल को गिराकर तेजी से भाग गई।''लड़के को तुरंत गोवंडी के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घायल मोटरसाइकिल सवारों की पहचान विजय सोनवणे, 28, एक इलेक्ट्रीशियन, और यश कोठवाल, 27, दोनों चेंबूर के रहने वाले हैं। सोनवणे के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हुआ है।पुलिस ने अनजान वाहन मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 281 (तेज रफ़्तार से गाड़ी चलाना) और 125 (जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 और 184 के तहत मामला दर्ज किया है।

79 साल की एक महिला के अचानक गायब

GPS ट्रैकर की वजह से हॉस्पिटल में ट्रेस किया गया

मुंबई : साउथ मुंबई में शाम की वॉक के दौरान 79 साल की एक महिला के अचानक गायब होने से उनके परिवार वाले परेशान हो गए थे, लेकिन उनके पोते के उनके नेकलेस में लगाए गए GPS ट्रैकर की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में ट्रेस किया गया, जहाँ एक टू-व्हीलर से टक्कर लगने के बाद उन्हें तुरंत ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि 3 दिसंबर को सेवरी इलाके में एक टू-व्हीलर ने सायरा बी ताजुद्दीन मुल्ला को टक्कर मार दी, जिसके बाद कुछ पैदल चलने वालों ने उन्हें सरकारी डएट हॉस्पिटल पहुँचाया। उनके नेकलेस में GPS डिवाइस लगा था जब मुल्ला घर नहीं पहुँचीं, तो उनके परिवार वाले घबरा गए। उनकी चिंताएँ जल्द ही दूर हो गईं जब उनके पोते, मोहम्मद वसीम अयूब मुल्ला ने उनके नेकलेस में लगे GPS डिवाइस को एक्टिवेट किया, जिससे पता चला कि उनकी लोकेशन सेवरी से मुश्किल से 5 km दूर परेल के KEM हॉस्पिटल में है।

बांद्रा: क्लब के दो बाउंसरों पर ग्राहकों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज...

मुंबई : बांद्रा पुलिस ने बांद्रा वेस्ट के 145 क्लब के दो बाउंसरों पर सोमवार तड़के तीन ग्राहकों के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है, जिनमें एक 30 साल का लंदन का रहने वाला भी शामिल है।लंदन निवासी समेत तीन ग्राहकों पर हमला करने के आरोप में बांद्रा क्लब के दो बाउंसरों पर मामला दर्जलंदन निवासी समेत तीन ग्राहकों पर हमला करने के आरोप में बांद्रा क्लब के दो बाउंसरों पर मामला दर्जशिकायतकर्ता रवि किलवानी, जो मुंबई घूमने आए हैं और मुलुंड वेस्ट में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, ने पुलिस को बताया कि वह और उनके दोस्त, तीर्थ पटेल,

33, और उमंग पटेल, 31, रविवार देर रात अंबेडकर रोड पर क्लब गए थे। रात करीब 12.40 बजे, जब वे डांस कर रहे थे, तो दो बाउंसरों ने कथित तौर पर बिना किसी उकसावे के उन पर हमला करना शुरू कर दिया, और उन्हें बार-बार लात मारी, जब तक कि उनके सिर से खून नहीं बहने लगा।

किलवानी ने दावा किया कि इसके बाद उन्हें सीढ़ियों से घसीटकर ग्राउंड फ्लोर पर ले जाया गया। जब तीर्थ और उमंग ने बाउंसरों का सामना किया, जिनमें से एक की पहचान प्रणय के रूप में हुई, तो दोनों ने कथित तौर पर तीर्थ पर भी हमला कर दिया। इसके बाद उमंग ने पुलिस हेल्पलाइन पर फोन किया।कुछ ही देर बाद एक पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और तीनों को इलाज के लिए भाभा अस्पताल ले गई। प्राथमिक उपचार के बाद, समूह बांद्रा पुलिस के पास पहुंचा, जिन्होंने दो बाउंसरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1) (खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत FIR दर्ज की।बांद्रा पुलिस अधिकारी ने कहा, ''हमने दोनों बाउंसरों को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।''

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर 4 ए, फ्लोर-जीआरडी, 29 डी, शबन हाउस, वंजावाडी लेन, माहिम वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400016 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhani.com